

## न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम कात्ताराम २/० रणछोडजी शेखरी वि० नरसाणा

मुकदमा नं. ५०/२०१४

धारा ९१ LR ACT १९५६

निर्णय दिनांक ३०.०१.२०१८

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल कात्ताराम २/० रणछोडजी उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टानुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. ६६० रकबा ०.०५ किस्म ३० म० जोवर भूमि पर संवत् २०७४ में कब्जा रूप में अतिक्रमण करने पर गैर सायल को धारा ९१ (३) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अतः राज० भू० अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ५००० रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से ०.०५ हैक्टर की दर ०.२० रुपये का पचास गुणा से १०० रुपये अक्षरे २५ रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक ३०.०१.२०१८ को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर  
(श्री पुखाराम मीणा)  
नायब तहसीलदार, जालोर